Trial No.-4699/2026

दिनांक 04.04.2026	
	विचारण के सभी पांच काराधीन अभियुक्तगण क्रमशः 1.कृष्ण नंदन सहनी उर्फ लड्डू, उम्र–27 वर्ष 2.निर्मला देवी, उम्र–24 वर्ष 3.सुनील राय, उम्र–30 वर्ष 4. किरण देवी, उम्र–55 वर्ष एवं 5.राम अवध राय, उम्र–36 वर्ष को CW पर कारा से सदेह प्रस्तुत किया गया। वाद पुकारा गया। वाद प्रस्तुत हुआ। सुना। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आरक्षी कागजात की प्रतिलिपि दी गई। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा–**105, 238 एवं 61(2)/3(5)** के अंतर्गत **संज्ञान** लिया गया है, जो कि विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतएव **बी.एन.एस.एस. की धारा–232** के अंतर्गत वाद को दौड़ा सुपुर्द किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को प्रधान विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी के न्यायालय में प्राप्त करावें एवं अधिसूचना निर्गत करें। अधिसूचना की प्रति अभियोजन पदाधिकारी को भी दें। दिनांक–06.05.2026 अभियुक्तगण का सत्र न्यायालय में उपस्थिति हेतु। लेखापित अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी।